भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 550
दिनांक 06 फरवरी, 2017

एलपीजी वितरण अधिकारों का आबंटन

550. डॉ॰ उदित राजः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को **1677** खुदरा केन्द्रों और **326** एलपीजी वितरण अधिकारों का आबंटन/आशय-पत्र (एलओआई) जारी न किए जाने के कारण लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क): दिनांक 01.01.2017 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) के लिए 603 स्थल और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के लिए 538 स्थल आशय पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए लंबित हैं। आरओज और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए ऐसे स्थलों की राज्य/संघ शासित राज्य-वार संख्या क्रमशः अनुलग्नक-**I** और अनुलग्नक-**II** में दी गई है जिनके लिए आशय पत्र अभी जारी किए जाने हैं।

(ख): खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन/स्थापना में विज्ञापन, साक्षात्कार/डीलरों के चयन के लिए ड्रा निकालना, प्रत्यय पत्रों का क्षेत्र सत्यापन, एलओआई जारी करना, भूमि की अधिप्राप्ति, आवश्यक सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करना, निर्माण आदि जैसे विभिन्न कदम शामिल है। डीलर/वितरक चयन की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। तथापि, कभी-कभी शिकायत और संदर्भ, मुकदमों, संवीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को अस्वीकार किए जाने, प्रत्यय पत्रों के क्षेत्र सत्यापन (एफवीसी) के दौरान उम्मीदवार को अस्वीकार किए जाने आदि के कारण विलंब हो जाता है। यदि एफवीसी के दौरान उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाता है तो उन्हें दोबारा ड्रा निकालना होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सभी पात्र उम्मीदवारों का ड्रा नहीं हो जाता है।

*****

अनुलग्नक- I

'एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स का आबंटन' के बारे में डॉ. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 550 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

उद्योग - दिनांक 01.01.2017 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के उन खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्य/संघ शासित राज्य-वार संख्या जिनके लिए एलओआई लंबित हैं

राज्य	बीपीसीएल		एचपीसी		आईओसीएल		योग
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	
अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	5	1	1	0	0	0	7
अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	0	0	2	4
असम	6	3	0	0	1	1	11
बिहार	0	0	25	0	60	2	87
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	1	5	0	5	1	6	18
दादरा नगर हवेली और	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	5	7	2	7	1	9	31
हरयाणा	2	0	5	0	5	0	12
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू-कश्मीर	0	0	1	1	1	0	3
झारखंड	0	1	0	0	1	2	4
कर्नाटक	1	0	5	5	3	1	15
केरल	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	3	1	3	3	8	2	20
महाराष्ट्र	43	21	31	13	12	5	125
मणिपुर	0	1	0	0	0	4	5
मेघालय	0	0	0	3	0	0	3
मिजोरम	0	8	0	0	0	7	15
नागालैंड	0	7	0	0	0	3	10
ओडिशा	2	0	0	0	1	2	5
पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	0	0	2	0	2	0	4
राजस्थान	2	4	5	6	10	7	34
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	15	0	5	0	56	1	77
तेलंगाना	4	4	15	5	0	0	28
त्रिपुरा	0	2	0	0	1	1	4
उत्तर प्रदेश	3	0	23	0	43	0	69
उत्तराखंड	0	0	0	0	1	0	1
पश्चिम बंगाल	0	0	3	0	7	1	11
अखिल भारतीय	92	67	126	48	214	56	603

अनुलग्नक- II

'एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स का आबंटन' के बारे में डॉ. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 550 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

उद्योग - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के उन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की राज्य/संघ शासित राज्य-वार संख्या जिनके लिए एलओआई लंबित हैं

क्र. सं.	राज्य	बीपीसीएल	एचपीसी	आईओसीएल	अंतिम
		योग (अ.जा./अ.ज.जा.)	योग (अ.जा./अ.ज.जा.)	योग (अ.जा./अ.ज.जा.)	योग (अ.जा./अ.ज.जा.)
1	आंध्र प्रदेश	1	24	10	35
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3	असम	1	1	2	4
4	बिहार	3	2	4	9
5	चंडीगढ़	0	0	1	1
6	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
7	दिल्ली	1	0	0	1
8	गोवा	0	0	0	0
9	गुजरात	0	1	1	2
10	हरयाणा	3	2	9	14
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
12	जम्मू-कश्मीर	1	2	1	4
13	झारखंड	0	0	0	0
14	कर्नाटक	2	1	5	8
15	केरल	0	0	0	0
16	मध्य प्रदेश	2	0	0	2
17	महाराष्ट्र	3	9	0	12
18	मेघालय	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0
20	उड़ीसा	24	24	48	96
21	पांडिचेरी	0	0	0	0
22	पंजाब	5	4	11	20
23	राजस्थान	3	1	4	8
24	तमिलनाडु	4	4	15	23
25	तेलंगाना	0	9	2	11
26	उत्तर प्रदेश	65	67	130	262
27	उत्तराखंड	5	4	9	18
28	पश्चिम बंगाल	4	4	0	8
	कुल	127	159	252	538